

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 89 / 2015

दर्ज दिनांक:—07.08.2015

1. बहादुर पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. ओमी पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

नीरपालसिंह कुन्तल
पंकज कुमार

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। उभयपक्ष उप/पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी /तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक/एलआर/ 17/1402 दिनांक 30.04.2017 का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2067-70 में वादी का नाम बहादुर पुत्र बैनी अंकित है। जबकि दावा बहादुर पुत्र बनैसिंह के नाम से किया है। सर्व प्रथम वादी अपने पिता के नाम की दुरस्ती सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र/दावा पेश करावे। इसके अतिरिक्त विभाजन के खाते में सभी सहखातेदार आवश्यक पक्षकार होते हैं। परन्तु वादी द्वारा जीतेन्द्र, राजवीर, गजेन्द्रसिंह पुत्रगण हरीशंकर समस्त नाबालिगान वली सरपरस्त माता सीमा को पक्षकर मुकदमा नहीं बनाया है। अतः दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादिया खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर